न्यायालय–नीरज कुमार त्यागी, अवर न्यायाधीश (प्रथम), नरकटियागंज
बंटवारा वाद सं0–60/2018

टुन्नु गिरी.....वादी

बनाम

मुकेश गिरी एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

DATE	ORDER	REMARKS
15.12.2022	उभय पक्षों की ओर से पैरवी है। आज अभिलेख वादी की ओर से दाखिल आवेदन दिनांक 19.09.2022 संबंधित धारा 151 व्यवहार प्रक्रिया संहित पर आदेश हेतु नियत है। **आदेश (Order)** वादी की ओर से दिनांक 19.09.2022 को एक आवेदन धारा 151 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के तहत दाखिल किया गया। जिसमें वादी की ओर से कहा गया कि प्रस्तुत वाद बंटवारा वाद है। जिसमें वादी का अंश 6/32 घोषित करना है। वादी के वादपत्र को आवेदन का अंश माना जाये। वादी एवं प्रतिवादीगण राम गिरी के वंशज है। राम गिरी को एक पुत्र था जिसको तीन पुत्र शेषनाथ गिरी, सुरेशचन्द्र गिरी एवं उपेन्द्र गिरी एवं एक पुत्री गीता देवी थी। वादी और प्रतिवादी सं0–15 ता 18 उपेन्द्र गिरी के वारिस तथा प्रतिवादी सं0–01 ता 07 शेषनाथ गिरी के वारिस तथा प्रतिवादी सं0–08 ता 14 सुरेशचन्द्र गिरी के वारिस तथा प्रतिवादी सं0–19 ता 19(C) गीता देवी के वारिस है। प्रतिवादी सं0–01 ता 03, 08, 09 तथा 04 ता 07 तथा 10, 11, 14 और 15 ता 18 अपना प्रतिवाद पत्र दाखिल कर चुके है। वादी के द्वारा दिनांक 27.08.2020 को पूर्व में निषेधाज्ञा आवेदन दाखिल किया था। जिसपर दोनों पक्षों को सुनकर दिनांक 18.09.2021 को न्यायालय द्वारा आदेश किया गया कि दोनों पक्षकारों को दिनांक 21.09.2022 तक वादग्रस्त भूमि के अंतरण से रोका जाता है। प्रतिवादी सं0–01 ता 03, 08 एवं 09 आदतन अच्छी और मूल्यवान संयुक्त संपति से वादी के विधिक अधिकार से वंचित करने के लिए अंतरण कर रहे है तथा वे कुछ संपति पर दलालों से अग्रिम धन राशि भी ले चुके है। मामला अभी न्यायालय में लंबित है। अतः वादग्रस्त संपति का संरक्षक न्यायालय है। न्यायालय का कर्तव्य है कि वादग्रस्त संपति का रक्षा करें। अतः दिनांक 18.09.2021 के अंतरिम निषेधाज्ञा आदेश को वाद के अंतिम	

न्यायालय–नीरज कुमार त्यागी, अवर न्यायाधीश (प्रथम), नरकटियागंज
बंटवारा वाद सं0–60/2018

लगातार 15.12.2022	निस्तारण तक विस्तारित करने की कृपा करें। प्रतिवादी सं0–01, 02, 03, 08 तथा 09 की ओर से वादी के आवेदन का प्रत्युत्तर दिनांक 15.10.2022 को दाखिल किया गया। जिसमें वादी का आवेदन कानून एवं तथ्य दोनों दृष्टिकोण से खारिज योग्य बताया गया। प्रतिवादीगण का कहना है कि वादी के द्वारा अपनी नालिश में निषेधाज्ञा के अनुतोष की मांग नही किया गया है तथा कानूनी तौर पर यह स्थापित स्थिति है कि न्यायालय से वादी ने जिन अनुतोषों की मांग की है उन्हीं अनुतोषों को दिया जा सकता है इस स्थिति में वादी को निषेधाज्ञा का अनुतोष दिया जाना विधि सम्मत नही है। वादी के द्वारा निषेधाज्ञा के विस्तारण का कोई वैद्यानिक आधार नही है। वादी तथा प्रतिवादीगणों के संयुक्त परिवार में काफी पहले बंटवारा हो चुका है तथा सभी अपने हक हिस्से की एराजी के दखल कब्जें में चले आ रहे है तथा अपने अपने जरूरत के मुताबिक डिलविथ भी किये है तथा निबंधित दस्तावेजों के आधार पर जमाबंदी भी कायम है। वादी के द्वारा भी काफी एराजी बिक्री किया जा चुका है। वादी के द्वारा तथाकथित बिक्री के प्रयास के आरोपों के आधार पर निषेधाज्ञा का आदेश देना उचित नही है। मात्र आशांकाओं के आधार पर निषेधाज्ञा का आदेश स्वीकार नही किया जा सकता। तथाकथित बिक्री के प्रयास का कोई ठोस प्रमाण नही दिया गया है। अतः वादी का आवेदन खारिज किया जाय। प्रतिवादी सं0–04 ता 07 के द्वारा भी दिनांक 15.12.2022 को प्रतिवादी सं0–01, 02, 03, 08 तथा 09 के प्रत्युत्तर को ही अपनी ओर से प्रत्युत्तर मानने का निवेदन किया है। उभय पक्षों को सुना गया। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि उक्त अभिलेख उपस्थिति हेतु नियत है। न्यायालय द्वारा दिनांक 18.09.2021 को वादी के निषेधाज्ञा आवेदन पर उभय पक्षों को सुनकर गुण–दोष के आधार पर आदेश पारित किया तथा उभय पक्षों को निर्देश दिया कि वह वादग्रस्त भूमि के संबंध में किसी भी प्रकार का कोई भी अंतरण विलेख एक वर्ष अर्थात दिनांक 21.09.2022 तक निस्पादित नही करेगें तथा	

<u>न्यायालय–नीरज कुमार त्यागी, अवर न्यायाधीश (प्रथम), नरकटियागंज</u>
<u>बंटवारा वाद सं0–60/2018</u>

लगातार 15.12.2022	इसी के साथ उभय पक्ष को निर्देश दिया गया कि वह वाद के त्वरित निस्तारण में सहयोग करें पंरतु एक वर्ष के दौरान अभी वाद प्रारंभिक अवस्था में ही है। निषेधाज्ञा आवेदन पर किया गया आदेश अंतरिम आदेश है। अंतरिम आदेश का पुर्नविलोकन नही किया जा सकता है। वादी के द्वारा अपने आवेदन के समर्थन में ऐसा कोई दस्तावेज नही दिया गया जिससे प्रतीत होता हो कि प्रतिवादीगण वादग्रस्त भूमि के अंतरण हेतु तत्पर है। अतः वादी का आवेदन दिनांक 19.09.2022 को खारिज किया जाता है तथा उभय पक्षों को निर्देश दिया जाता है कि वाद के शीघ्र निष्पादन हेतु न्यायालय का सहयोग करें। आगामी दिनांक 07.02.2023 वास्ते अग्रिम कार्यवाही हेतु नियत। लेखापित अवर न्यायाधीश, प्रथम नरकटियागंज	